



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11062025-263717
CG-RJ-E-11062025-263717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 2455]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

(उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

जयपुर, 9 जून, 2025

का.आ. 2515(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले में विजयनगर तहसील में विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में **अजमेर-चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना** के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और परिचलन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उप-खण्ड अधिकारी मसूदा, ब्यावर, राजस्थान को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर-चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के लिए अवासाधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण:-

जिला : ब्यावर

क्र. सं.	जिले का नाम	तसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	अवास रकबा (वर्ग मी. में)	अवास रकबा (हैक्टेयर में)
1	ब्यावर	बिजयनगर	शिखरानी-I	4751/1189	निजी	790.199	0.0790
कुल योग :						790.199	0.0790

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-17]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 9th June, 2025

S.O. 2515(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution Maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)”** of Ajmer Division of North Western Railway” Sub division Masuda, District-Beawar in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub divisional officer Masuda, Beawar, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely “Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)” of Ajmer Division of North Western Railway”

Dist.: Beawer**Tehsil: Bijainagar**

Sr. No.	Name of Disritct	Name of Tehsil	Village Name	Survey No./Khasra No.	Type of Land	Acquired Area (in Sq. Mtr.)	Acquired Area (in Hact.)
1	Beawar	Bijainagar	Shikhrani-1	4751/1189	Private	790.199	0.0790
SUB TOTAL :						790.199	0.0790

[F.No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XVII]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Const.)